न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

वादपत्र सख्या 76/2020

वादीगण :–

1. गोरधनराम पुत्र श्री भियाराम
2. श्यामलाल पुत्र श्री भियाराम सभी जाति नाई निवासी ग्राम गिंगाला तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सरकार जरिये तहसीलदार ओसियाँ

प्रफोर्मा पक्षकार :–

2. ओमप्रकाश पुत्र श्री भियाराम
3. कालूराम पुत्र श्री भियाराम सभी जाति नाई निवासी ग्रम गिंगाला तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।

वाद अन्तर्गत धारा 88 (ईटठयासी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 (एक सौ छतीस)

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

प्रतिवादी पैराकार सरकार उपस्थित

निर्णय

दिनॉक 12.03.2022

वादी की ओर से वादपत्र पेश किया कि तहसील ओसियाँ के राजस्व ग्राम गिंगाला की सरहद में स्थित खेत खसरा सख्या 296 रकबा 0.0647 हेक्टर, खसरा सख्या 297 रकबा 5.1233 हेक्टर भूमि वादीगण व अन्य

Scanned with CamScanner

सहखातेदारो की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि आई हुई है उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्व वादीगण के पिता श्री भियाराम पुत्र श्री धन्नाराम व सहखातेदार राणाराम पुत्र श्री देवाराम की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि थी। वादीगण के पिता श्री भियाराम का देहान्त वादीगण के नाबालिक अवस्था में ही हो गया था। स्व श्री भियाराम के देहान्त के पश्चात नामान्तरकरण सख्या 209 स्वीकार किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 01 व 02 के नाम नाबालिक अवस्था में वलिए माता श्री झमकू बेवा श्री भियाराम के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए गए। उक्त वादग्रस्त भूमि में नामान्तरकरण सख्या 209 स्वीकार करते समय वादीगण सख्या 01 को घरलू बोलचाल की भाषा में टीकूराम कहते थे जबकि वादीगण सख्या 01 का वास्तविक पहचान सम्बधी दस्तावेजो के अनुसार नाम गोरधनराम था व वादीगण सख्या 02 को घरलू बोलचाल की भाषा में सताराम कहते थे जबकि वादीगण सख्या 02 का वास्तविक पहचान सम्बधी दस्तावेजो के अनुसार नाम श्यामलाल था। इस प्रकार से स्व श्री भियाराम के देहान्त के पश्चात राजस्व कर्मचारियो के द्वारा त्रुटिवश वादीगण सख्या 01 का नाम टीकूराम तथा वादीगण सख्या 02 का नाम श्यामलाल था । जो दर्ज किया गया लेकिन पहचान सम्बधी दस्तावेजो की जॉच किए बिना दर्ज कर दिया गया । इसलिए वादीगण सख्या 01 टीकूराम के स्थान पर गोरधनराम व वादीगण सख्या 02 सताराम के स्थान पर श्यामलाल घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण को उकत त्रुटि से दर्ज नाम की कोई जानकारी नही थी हाल ही में वादीगण ने वादग्रस्त भूमि का विकास कार्य करवाने बाबत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नलक ली तो वादीगण को ज्ञात हुआ कि वादीगण का नाम राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवश पहचान सम्बधी दस्तावेजो के अनुसार अंकित नही कर घरेलू बोलचाल की भाषा का नाम दर्ज कर दिया। इसलिए वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का विकास कार्य करवाने में कठिनाई महसूस होती हैं जबकि टीकूराम तथा सताराम नाम वादीगण सख्या 01 व 02 के ही हैं जो एक ही नाम हैं । यदि उक्त त्रुटि सुधार की जाती हैं तो प्रतिवादीगण के हितो पर कोई प्रभाव नही पडेगा तथा वादीगण अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि का विकास कार्य करवाने में भी कोई कठिनाई महसूस नही होगी। इसलिए वादीगण सख्या 01 टीकूराम के स्थान पर गोरधनराम व वादीगण सख्या 02 सताराम के स्थान पर श्यामलाल घोषित करवाने का अधिकारी है। इसलिए यह नाम शुद्दि की घोषणा का वादपत्र विरूद्व प्रतिवादी पेश है। अन्त में ईस्तदुआ चाही कि घोषणा की डिकी बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण सख्या 01 इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम गिंगाला के खसरा सख्या खसरा सख्या 296 रकबा 0.0647

Scanned with CamScanner

हेक्टर, खसरा सख्या 297 रकबा 5.1233 हेक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 5.1880 हेक्टर भूमि में वादीगण सख्या 01 का टीकूराम के स्थान पर गोरधनराम व वादीगण सख्या 02 का सताराम के स्थान पर श्यामलाल घोषित करने का सादिर आदेश फरमावे।

वादीगण का उक्त वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी द्वारा जबाब दावा पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी द्वारा वादी के वादपत्र को स्वीकार किया गया जिसमें वॉछित ईस्तदुआ अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया गया । प्रतिवादी द्वारा जबाब में अंकन किया कि मजमेआम में जॉच करने एव अन्य सरकार दस्तावेजी में जॉच करने पर पाया की वादीगण का राजस्व रेकर्ड में नाम अशुद्व है। मजमे आम जॉच व पूछताछ के आधार पर टीकूराम पुत्र श्री भियाराम के स्थान पर गोरधनराम पुत्र श्री भियाराम व सताराम के स्थान पर श्यामलाल पुत्र श्री भियाराम दर्ज किया जाना उचित है।

पत्रावली का आवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हे वादग्रस्त भूमि में वादीगण का नाम अशुद्व हैं तथा राजस्व रेकर्ड में अशुद्व नाम है जो पहचान सम्बधी दस्तावेजो के अनुसार शुद्व किया जाना उचित है। अत वादीगण का वादपत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अत वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। तथा वादर्गस्त भूमि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम गिंगाला के खसरा सख्या 296 रकबा 0.0647 हेक्टर, खसरा सख्या 297 रकबा 5.1233 हेक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 5.1880 हेक्टर भूमि में वादीगण सख्या 01 का टीकूराम के स्थान पर गोरधनराम व वादीगण सख्या 02 का सताराम के स्थान पर श्यामलाल घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार ओसियॉ को आदेश दिया जाता है।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

निर्णय आज दिनाक 17/3/22 को सरेईजलास सुनाया गया।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

Scanned with CamScanner

मूल वाद मे प्राथमिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 06 और 07)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

वादपत्र सख्या 76/2020

वादीगण :–

1. गोरधनराम पुत्र श्री भियाराम
2. श्यामलाल पुत्र श्री भियाराम सभी जाति नाई निवासी ग्राम गिंगाला तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सरकार जरिये तहसीलदार ओसियाँ

प्रफोर्मा पक्षकार :–

2. ओमप्रकाश पुत्र श्री भियाराम
3. कालूराम पुत्र श्री भियाराम सभी जाति नाई निवासी ग्रम गिंगाला तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।

वाद अन्तर्गत धारा 88 (ईटठयासी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 (एक सौ छतीस)

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनॉक :– 12/3/22

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा प्रतिवादीगण सरकार पैराकार उपस्थित वादपत्र में निर्णय अनुसार वादग्रस्त भूमि तहसील ओसियाँ के राजस्व ग्राम गिंगाला के खसरा सख्या 296 रकबा 0.0647 हेक्टर, खसरा सख्या 297 रकबा 5.1233 हेक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 5.1880 हेक्टर भूमि में वादीगण सख्या 01 का टीकूराम के स्थान पर गोरधनराम व वादीगण सख्या 02 का सताराम के स्थान पर श्यामलाल घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार ओसियाँ को आदेश दिया जाता है।

सहायक कलेक्टर, ओसियाँ

Scanned with CamScanner

यह आज तारीख 12/7/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी ।

सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वादपत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शो के लिए स्टाम्प रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

Scanned with CamScanner